न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 08/2025 – निगरानी

1. भंवर सिंह पिता हीरा दरोगा (कुंपावत) निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. गोपाल सिंह पिता भंवर सिंह दरोगा(कुंपावत) निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. ग्राम पंचायत करेड़ा जरिए सचिव व सरपंच ग्राम पंचायत करेड़ा जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत करेड़ा पंचायत समिति करेड़ा द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या 13 दिनांक 25.02.2019

उपस्थित –

1. श्री हरदयाल वर्मा अधिवक्ता – निगराकार की ओर से

निर्णय

दिनांक 08.12.2025

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार 2 ग्राम पंचायत करेड़ा के द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को जो पट्टा संख्या 13/25.02.2019 दिया गया वह नियम विरूद्ध होकर निरस्तनीय है। उक्त जारी पट्टा आबादी भूमि ग्रा0प0 करेड़ा का नहीं होकर निगराकार की निजी भूमि है जिसमें ग्राम पंचायत को किसी तरह का पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं होते हुए भी उक्त पट्टा अवैध रूप से जारी किया गया है। निगराकार ने अपील स्वयं की खातेदारी व कब्जे की आराजी संख्या 4730/1 रकबा 03 बिस्वा, आं.स 4729/1 रकबा 05 बिस्वा, आ.स 4727/5 रकबा 03 बिस्वा, आ.सं 4728 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 17 बिस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरणकरण नियमानुसार राजस्व शुल्क जमा करवाकर करवायी। गैर निगराकार संख्या 01 ने ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच से मिलीभगत कर अपने पक्ष में पट्टा जारी करवाकर पट्टे का पंजीयन भी करवा लिया जबकि मौके पर ना तो मकान था ना ही यह आबादी में भूमि थी जबकि यह भूमि निगराकार की स्वयं की कृषि भूमि से आबादी में संपरिवर्तित करवायी गयी भूमि है जिसे दिनांक 21.10.2016 को इंतकाल संख्या 6129 के द्वारा रूपान्तरण करवाकर आबादी में निगराकार ने दर्ज करवायी थी जिस पर पंचायत को पट्टा देने का अधिकार नहीं है।

8.12.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिस पर गैर निगराकार संख्या 1 ने पंचायत को अंधेरे में रख अपने नाम पुराने मकानों का पट्टा बना लिया जबकि मौके पर कभी भी मकान नहीं बने हुए थे एवं न ही वर्तमान में बने हुए हैं। मौके पर आज भी पूरी जमीन पडत पड़ी हुई है जो निगराकार के खेत से कृषि भूमि से रूपान्तरण करवायी गई है। फिर भी निगराकार संख्या 2 ने किसी प्रकार की जांच किए बिना अपने ऑफिस में ही बैठकर यह गैरकानूनी पट्टा जारी किया है जो अवैध होकर निरस्तनीय है। न तो निगराकार को कभी पूछा गया न ही निगराकार को इस संबंध में जानकारी दी गयी। भूमि निगराकार की कृषि भूमि थी जिसे दिनांक 21.10.2016 को इंतकाल सं 6129 के द्वारा रूपान्तरण करवाकर आबादी में ली थी जिस पर पंचायत को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नही था। निवेदन है कि निगरानी स्वीकार कर पट्टा विलेख संख्या 13 दिनांक 25.02.2019 को अवैध होने व बिना अधिकारिता के जारी किया गया होने से अपास्त फरमाया जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 बावजूद सूचना के लगातार अनुपस्थित है। विपक्षी संख्या 01 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाती हैं। प्रकरण में निगराकार अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी मेमों में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त जारी पट्टा आबादी भूमि ग्रा0प0 करेड़ा का नहीं होकर निगराकार की निजी भूमि है जिसमें ग्राम पंचायत को किसी तरह का पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं होते हुए भी उक्त पट्टा अवैध रूप से जारी किया गया है। निगराकार ने अपील स्वयं की खातेदारी व कब्जे की आराजी संख्या 4730/1 रकबा 03 बिस्वा, आं.स 4729/1 रकबा 05 बिस्वा, आ.स 4727/5 रकबा 03 बिस्वा, आ.सं 4728 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 17 बिस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरणकरण नियमानुसार राजस्व शुल्क जमा करवाकर करवायी। गैर निगराकार संख्या 01 ने ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच से मिलीभगत कर अपने पक्ष में पट्टा जारी करवाकर पट्टे का पंजीयन भी करवा लिया जबकि मौके पर ना तो मकान था ना ही यह आबादी में भूमि थी जबकि यह भूमि निगराकार की स्वयं की कृषि भूमि से आबादी में संपरिवर्तित करवायी गयी भूमि है जिसे दिनांक 21.10.2016 को इंतकाल संख्या 6129 के द्वारा रूपान्तरण करवाकर आबादी में निगराकार ने दर्ज करवायी थी जिस पर पंचायत को पट्टा देने का अधिकार नहीं है। जिस पर गैर निगराकार संख्या 1

8.12.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

ने पंचायत को अंधेरे में रख अपने नाम पुराने मकानों का पट्टा बना लिया जबकि मौके पर कभी भी मकान नहीं बने हुए थे एवं न ही वर्तमान में बने हुए हैं। मौके पर आज भी पूरी जमीन पडत पड़ी हुई है जो निगराकार के खेत से कृषि भूमि से रूपानतरण करवायी गई है। निवेदन है कि निगरानी स्वीकार कर पट्टा विलेख संख्या 13 दिनांक 25.02.2019 को अवैध होने व बिना अधिकारिता के जारी किया गया होने से अपास्त फरमाया जाने का आदेश फरमावें।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि निगराकार ने निगरानी मेमों में एवं लिखित बहस में अंकित किया कि प्रश्नगत पटटे का पंजीयन गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में कराया गया हैं। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने बाबत् क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं। अतः उपरोक्त विवेचन निगराकार की निगरानी सारहीन एवं आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05.12.25

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा